

# पेड़-पौधों का फर्जी बिल उठाने वाले ठेकेदारों पर आयुक्त ने नकेल कसी

रोड डिवाइडरों पर पौधों की खस्ता हालत देखकर नाराज हुए निगम आयुक्त हसीजा



हैरिटेज नगर निगम कमिशनर अकण हसीजा ने शहर में 4 घंटे धूपकर रोड डिवाइडरों पर लगाए गए पेड़-पौधों व रखरखाव के कार्यों की जांच की।

- उन्होंने ठेकेदारों का भुगतान रोकने, ड्रॉन सर्वे और थर्फ पार्टी जांच के आदेश दिए
- सूत्रों का कहना है कि उदान ठेकेदारों ने बिना काम करवाये ही अफसरों से बिल पास करवा लिए थे, परंतु कमिशनर ने भुगतान पर पहले ही मौका निरीक्षण कर लिया
- आयुक्त हसीजा तमाम बिलों को लेकर शनिवार को सी-स्क्रीम, हसनपुरा, सोडाला, सिविल लाइन, बनी पार्क इलाके में पहुंच तो ठेकेदारों की पोल खुल गई

जयपुर (कास)। राजधानी जयपुर के उदानों और रोड डिवाइडरों पर पेड़-पौधों की सार संभाल किए बिना करोड़ों रु. के फर्जी बिल उठाने वाले ठेकेदारों पर हैरिटेज निगम आयुक्त अल्प हसीजा ने नकेल कसी है।

उन्होंने शनिवार को करीब 4 घंटे तक शहर में पैदल धूपकर निरीक्षण किया। उन्होंने रोड डिवाइडर पर सख्ता हालत देखकर तमाम ठेकेदारों का भुगतान रोकने के आदेश दिए हुए, ड्रॉन सर्वे करवाये और थर्फ पार्टी जांच के आदेश भी दिए। सूत्रों के मुताबिक हैरिटेज निगम की उदान शाखा में ठेकेदारों ने 1-2 साल तक नियमों को

के भुगतान के बिल पेश किए थे। इनमें ऐसे काम भी थे, जो कमी हुए ही नहीं। ठेकेदारों ने रोड डिवाइडरों और उदानों में पौधों की सार-संभाल के नाम पर भी कोड़ी रुपये के भुगतान के बिल पेश किए थे। इन भुगतानों के बाद उदान करने से पूर्व ही शनिवार को तमाम इलाकों में औचक नियमण कर लिया।

शनिवार सुबह 11 बजे आयुक्त अल्प हसीजा, उदान उपायुक्त मोनिका सोनी और इंजीनियर प्रियंका ताखर के साथ मौके पर किए गए कामों की जांच के लिए नियमों को सी-स्क्रीम, हसनपुरा, सोडाला, सिविल लाइन

के भुगतान के बिल पेश किए थे। इनमें ऐसे काम भी थे, जो कमी हुए ही नहीं। ठेकेदारों ने रोड डिवाइडरों और उदानों में पौधों की सार-संभाल के नाम पर भी कोड़ी रुपये के भुगतान के बिल पेश किए थे। इन भुगतानों के बाद उदान करने से पूर्व ही शनिवार को तमाम इलाकों में औचक नियमण कर लिया।

कमिशनर हसीजा ने नाराजी जारी हुए कहा कि, हैरिटेज निगम क्षेत्र के तमाम उदानों और सड़क डिवाइडरों पर रोड साइडों का संधारण कर्य

## हैरिटेज नगर निगम क्षेत्र में इन फर्जी के पास है रोड डिवाइडरों का जिम्मा

- 1 हसनपुरा-पुलिया से हटवाड़ा सभी मंडी तक रोड डिवाइडरों का संधारण कर्य
- 2 हसनपुरा हवाड़ा रोड पर सड़क डिवाइडरों का सौंदर्यकरण कर्य
- 3 सोडाला और आसपास के क्षेत्र स्थित रोड डिवाइडरों का संधारण
- 4 सरदार पटेल मार्ग के संधारण कर्य
- 5 सरदार पटेल मार्ग का रखरखाव और रोड डिवाइडरों का संधारण कर्य
- 6 होटेल राजपूताना शेरेटन के सामने मेंट्रो स्टेशन होते हुए अजमेर पुलिया के नाम वाले, आसपास का क्षेत्र, एम. आई. रोड तथा भगवानी मार्ग से कृष्ण मार्ग सी-स्क्रीम तक रोड साइड डिवाइडर पर पेड़-पौधे हेजे लगाने व संधारण का कार्य
- 7 होटेल राजपूताना शेरेटन मेंट्रो स्टेशन से होते हुए अजमेर पुलिया के नाम वाले, आसपास का क्षेत्र, एम. आई. रोड तथा भगवानी मार्ग से कृष्ण मार्ग सी-स्क्रीम तक रोड साइड डिवाइडर पर पेड़-पौधे हेजे लगाने व संधारण का कार्य
- 8 बनीपार्क एवं आसपास के क्षेत्र में स्थित रोड डिवाइडरों का सौंदर्यकरण व संधारण का कार्य
- 9 शिवाजी नगर से ताज होटल भट्टा बस्ती क्षेत्र स्थित रोड डिवाइडर का सौंदर्यकरण
- 10 चांपेल से पानीपेंच तक एवं आरपी-रोड व सिविल लाइन जैन कार्यालय के आसपास के रोड डिवाइडरों व रोड साइडों का संधारण कर्य

- मैसर्स नईनाथ कंस्ट्रक्शन कं.
- मैसर्स सुसावत कंस्ट्रक्शन कं.
- मैसर्स सुसावत कंस्ट्रक्शन कं.
- मैसर्स टोडावत कंस्ट्रक्शन कं.
- मैसर्स नईनाथ कंस्ट्रक्शन कं.
- मैसर्स श्री नारायण नरसरी
- मैसर्स टोडावत कंस्ट्रक्शन कं.
- मैसर्स मीणा नरसरी सेंटर
- मैसर्स मीणा नरसरी सेंटर
- मैसर्स कुलदीप कंस्ट्रक्शन कं.

## 44 अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी

जयपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाले लिये खाद्य एवं नाराज आपात्रित विभाग द्वारा 23 दिसंबर, 2024 से गिर अपं अधियान चलाया जा रहा है। उक्त अधियान के अन्तर्गत ऊपर वर्ती आवाज व्यक्ति अनानाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने वाले उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाली नहीं की जायेगी।

जिला रसद अधिकारी त्रिलोकचंद्र मीणा ने बात की कि जिला कलकर के निर्देशनसुरक्षा कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के द्वारा नोटिस जारी किये जा रहे हैं। जिला रसद अधिकारी जयपुर व्यक्ति अनानाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने वाले हूं और अपने उक्त व्यक्तियों के नाम खाद्य एवं नाराज आपात्रित विभाग द्वारा 21 फरवरी, 2025 तक स्वेच्छा से अपना खाद्य सुरक्षा सुरक्षा सूची से हटवाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाली नहीं की जायेगी।

जिला रसद अधिकारी त्रिलोकचंद्र मीणा ने बात की कि जिला कलकर के निर्देशनसुरक्षा कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के द्वारा नोटिस जारी किये जा रहे हैं। जिला रसद अधिकारी जयपुर व्यक्ति अनानाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने वाले उक्त व्यक्तियों के नाम खाद्य एवं नाराज आपात्रित विभाग द्वारा 21 फरवरी, 2025 तक स्वेच्छा से अपना खाद्य सुरक्षा सुरक्षा सूची से हटवाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाली नहीं की जायेगी।

जिला रसद अधिकारी त्रिलोकचंद्र मीणा ने बात की कि जिला कलकर के निर्देशनसुरक्षा कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के द्वारा नोटिस जारी किये जा रहे हैं। जिला रसद अधिकारी जयपुर व्यक्ति अनानाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने वाले उक्त व्यक्तियों के नाम खाद्य एवं नाराज आपात्रित विभाग द्वारा 21 फरवरी, 2025 तक स्वेच्छा से अपना खाद्य सुरक्षा सुरक्षा सूची से हटवाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाली नहीं की जायेगी।

जिला रसद अधिकारी त्रिलोकचंद्र मीणा ने बात की कि जिला कलकर के निर्देशनसुरक्षा कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के द्वारा नोटिस जारी किये जा रहे हैं। जिला रसद अधिकारी जयपुर व्यक्ति अनानाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने वाले उक्त व्यक्तियों के नाम खाद्य एवं नाराज आपात्रित विभाग द्वारा 21 फरवरी, 2025 तक स्वेच्छा से अपना खाद्य सुरक्षा सुरक्षा सूची से हटवाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाली नहीं की जायेगी।

जिला रसद अधिकारी त्रिलोकचंद्र मीणा ने बात की कि जिला कलकर के निर्देशनसुरक्षा कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के द्वारा नोटिस जारी किये जा रहे हैं। जिला रसद अधिकारी जयपुर व्यक्ति अनानाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने वाले उक्त व्यक्तियों के नाम खाद्य एवं नाराज आपात्रित विभाग द्वारा 21 फरवरी, 2025 तक स्वेच्छा से अपना खाद्य सुरक्षा सुरक्षा सूची से हटवाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाली नहीं की जायेगी।

जिला रसद अधिकारी त्रिलोकचंद्र मीणा ने बात की कि जिला कलकर के निर्देशनसुरक्षा कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के द्वारा नोटिस जारी किये जा रहे हैं। जिला रसद अधिकारी जयपुर व्यक्ति अनानाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने वाले उक्त व्यक्तियों के नाम खाद्य एवं नाराज आपात्रित विभाग द्वारा 21 फरवरी, 2025 तक स्वेच्छा से अपना खाद्य सुरक्षा सुरक्षा सूची से हटवाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाली नहीं की जायेगी।

जिला रसद अधिकारी त्रिलोकचंद्र मीणा ने बात की कि जिला कलकर के निर्देशनसुरक्षा कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के द्वारा नोटिस जारी किये जा रहे हैं। जिला रसद अधिकारी जयपुर व्यक्ति अनानाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने वाले उक्त व्यक्तियों के नाम खाद्य एवं नाराज आपात्रित विभाग द्वारा 21 फरवरी, 2025 तक स्वेच्छा से अपना खाद्य सुरक्षा सुरक्षा सूची से हटवाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाली नहीं की जायेगी।

जिला रसद अधिकारी त्रिलोकचंद्र मीणा ने बात की कि जिला कलकर के निर्देशनसुरक्षा कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के द्वारा नोटिस जारी किये जा रहे हैं। जिला रसद अधिकारी जयपुर व्यक्ति अनानाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाने वाले उक्त व्यक्तियों के नाम खाद्य एवं नाराज आपात्रित विभाग द्वारा 21 फरवरी, 2025 तक स्वेच्छा से अपना खाद्य सुरक्षा सुरक्षा सूची से हटवाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाली नहीं की जायेगी।

जिला रसद अधिकारी त्रिलोकचंद्र मीणा ने बात की कि जिला कलकर के निर्देशनसुरक्षा कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के द्वारा नोटिस जारी किये जा रहे हैं। जिला रसद अधिकारी जयपुर व्यक्ति अनानाम खाद्य